

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :- बाबूलाल जाट (R.A.S.)

राजस्व प्रार्थना-पत्र संख्या 58/2018 (समेकित प्रार्थना पत्र 01/2019 रामदेव बनाम रामदेव)

प्रार्थी

1. मोतीराम पुत्र भागीरथ जाति कुमावत उम्र 45 साल निवासी हरितपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर

बनाम

अप्रार्थीगण

1. रामदेव पुत्र खेमा
2. रामदेव पुत्र रतना
3. अमरचन्द पुत्र भागीरथ
4. ओमप्रकाश पुत्र भागीरथ
5. कुन्दनमल पुत्र अमराराम
6. छोटी देवी पत्नि भागीरथ
7. मूलचन्द पुत्र भागीरथ जाति समस्त कुमावत निवासीगण हरितपुरा तहसील कुचामन
8. शाखा प्रबन्धक, एच.डी.एफ.सी. बैंक शाखा कुचामनसिटी
9. उप पंजीयक कुचामनसिटी
10. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार कुचामनसिटी

प्रार्थना-पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अ.धा.212 राज.काश्त. अधिनियम 1955

उपस्थित - श्री रणवीर कुमावत अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।

श्री मो. हनीफ अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 की ओर से।

श्री भवानीसिंह अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2, 3, 4, 6, 7 की ओर से।

श्री बिरमाराम अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 5 की ओर से।

राजस्व प्रार्थना-पत्र संख्या 01/2019

प्रार्थी

1. रामदेव पुत्र खेमा जाति कुमावत उम्र 70 साल निवासी हरितपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर

बनाम

अप्रार्थीगण

1. रामदेव पुत्र रतना
2. छोटी देवी पत्नि भागीरथ
3. मूलचन्द पुत्र भागीरथ
4. मोतीराम पुत्र भागीरथ
5. अमरचन्द पुत्र भागीरथ
6. ओमप्रकाश पुत्र भागीरथ
7. कुन्दनमल पुत्र अमराराम जाति समस्त कुमावत नि. हरितपुरा तहसील कुचामन
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी (लैण्ड होल्डर)

प्रार्थना-पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अ.धा.212 राज.काश्त. अधिनियम 1955


उपस्थित श्री मो. हनीफ अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।

श्री भवानीसिंह अधिवक्ता अप्रार्थी सं.1, 2, 3, 5, 6, की ओर से।

श्री बिरमाराम अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 7 की ओर से।

श्री रणवीर कुमावत अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 4 की ओर से।

...2...


उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

आदेश

दिनांक :- 30.5.2019

प्रार्थी मोतीराम द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सं.120/18 एवं प्रार्थी रामदेव द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र संख्या 01/2019 दोनो प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट 1955 के तहत उभय पक्षकारान के निवेदन पर प्रार्थना-पत्रो को समेकित किया जाकर सुनवाई की गई। दोनो प्रार्थना-पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत का सार संक्षेप में इस प्रकार से है ग्राम हरितपुरा पटवार मण्डल खारिया तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 64 रकबा 1.09 हैक्टर किस्म चाही, खसरा नम्बर 66 रकबा 0.02 हैक्टर किस्म गै.मु.कुआ, खसरा नम्बर 67 रकबा 1.09 हैक्टर किस्म चाही प्रथम कुल रकबा 2.20 हैक्टर स्थित चली आ रही है जिसमे अमरचन्द पुत्र भागीरथ का 1/20 हिस्सा, ओमप्रकाश पुत्र भागीरथ का 1/20 हिस्सा, कुन्दनमल पुत्र अमराराम का 17/2200 हिस्सा, छोटी देवी पत्नि भागीरथ का 1/20 हिस्सा, मूलचन्द पुत्र भागीरथ का 1/20 हिस्सा, मोतीराम पुत्र भागीरथ का 1/20 हिस्सा, रामदेव पुत्र खेमा का 1083/2200 हिस्सा, रामदेव पुत्र रतना का 1/4 हिस्सा राहिन एच.डी.एफ.सी कुचामनसिटी के रहन दर्ज होकर संयुक्त रूप से पक्षकारान के कब्जे काश्त मे दर्ज होकर स्थित है तथा राजस्व रेकार्ड में बंटवारा नही हो रखा है। उपरोक्त भूमि का विधिवत विभाजन नही हो जाता है तब तक प्रत्येक खातेदार का हर इंच पर कब्जा माना जाता है, अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने प्रार्थी को एलानिया धमकी दी है कि मोतीराम ने कथन किया है कि रामदेव पुत्र खेमा एवं रामदेव पुत्र रतना द्वारा बिना विधिवत बंटवारा कराये विशेष भू-भाग पर अपनी मर्जी से निर्माण कार्य करवा रहे है जो कि कानूनन अवैध है, तथा अपने हिस्से की भूमि अन्य व्यक्तियो को बेचान कर देगे तथा ताकत के बल पर भूमि के विशेष भू-भाग पर काबिज करवा देंगे साथ ही कथन किया है कि उपरोक्त खसरा नम्बरान की अच्छी से अच्छी भूमि व बुरी से बुरी भूमि को विभाजन द्वारा प्राप्त करने का सभी खतेदारो को कानूनी हक है। उपरोक्त भूमि का बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस मौके पर नाप-चौक कर पक्षकारान का अलग अलग हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवाकर व खातेदार घोषित करवाकर नक्शे में तरमीम करवाये जाने का वाद बाबत घोषणा, रेकर्ड दुरुस्ति व भू-विभाजन का न्यायालय में प्रस्तुत कर रखा है। उपरोक्त भूमि में से बिना विधिवत विभाजन करवाये किसी अजनबी व्यक्ति को बेचान कर भूमि के विशेष भू-भाग पर जबरन कब्जा करवा दिया गया तो पक्षकारान को भरी असुविधा व अपूर्तनीय क्षति होगी। दोनो प्रार्थना-पत्रो में पक्षकारान की इस्तदुआ है कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि ग्राम हरितपुरा के खसरा नम्बर 64 66 67 में पक्षकारान खातेदारान बिना विधिवत विभाजन करवाये अपने हिस्से की भूमि का बेचान, हस्तानान्तरण किसी भी रूप से किसी अजनबी व्यक्तियो को नही करे न ही जबरन कब्जा करवाये व न ही किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण कार्य करावे न ही ऐसा अपने एजेन्टों या प्रतिनिधियो से करवाये तथा उप पंजियक किसी भी प्रकार के दस्तावेज का पंजियन स्वीकार नही करे तथा राजस्व रेकार्ड एवं मौके


 सखण्ड अधिकारी
 कुचामन सिटी (नागौर)

की यथास्थिति संबंधित पक्षकारान बनाये रखे।

प्रकरण दर्ज कर पक्षकारान को जरिये नोटिस तलब किया गया। दोनो ही प्रार्थना-पत्रो में उनके अधिवक्ता उपस्थित आये तथा उन्होने कथन किया है कि उपरोक्त भूमि को लेकर दोनो पक्षो के मध्य दो प्रार्थना-पत्र एवं वाद इस न्यायालय में विचाराधीन है, जिनको समेकित किया जाकर एक-साथ सुनवाई की जावे। उभय पक्षकारान अधिवक्तो के निवेदन पर दिनांक 25.01.2019 को दोनो प्रार्थना-पत्रो को समेकित किया जाकर एक साथ सुनवाई की गई। शाखा प्रबन्धक, उप पंजीयक एवं तहसीलदार कुचामनसिटी बावजूद इतला अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। दोनो पक्षो के अधिवक्ता उपस्थित आये जिन्होने दिनांक 25.01.2019 को उक्त मूल प्रार्थना-पत्र पर बहस सुनाई। दोनो ही पक्षो के अधिवक्ताओ द्वारा कथन किया है कि उपरोक्त भूमि को लेकर आगे और विवाद नही हो तथा जब तक विधिवत बंटवारा नही हो इसके लिए दोनो ही पक्षो को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से ताफैसला वाद पांबद फरमाया जावे।

उभय पक्षकारान के अधिवक्तो की बहस एवं उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी नकल सम्वत 2072-2075 अनुसार खसरा नम्बर 64 66 67 कुल रकबा 2.20 हैक्टर में रामदेव पुत्र खेमा रामदेव पुत्र रतना छोटी पत्नि भागीरथ मूलचन्द मोतीराम अमरचन्द ओमप्रकाश पि. भागीरथ (रामदेव पुत्र खेमा के 0.0170 हैक्टर भूमि मे कुन्दनमल पुत्र अमराराम कुमावत सा.देह) जाति कुम्हार सा. देह खातेदार दर्ज है। 2076-2079 अनुसार ग्राम हरितपुरा के खसरा नम्बर 64 66 67 कुल रकबा 2.20 हैक्टर में अमरचन्द पुत्र भागीरथ का 1/20 हिस्सा, ओमप्रकाश पुत्र भागीरथ का 1/20 हिस्सा, कुन्दनमल पुत्र अमराराम का 17/2200 हिस्सा, छोटी देवी पत्नि भागीरथ का 1/20 हिस्सा, मूलचन्द पुत्र भागीरथ का 1/20 हिस्सा, मोतीराम पुत्र भागीरथ का 1/20 हिस्सा, रामदेव पुत्र खेमा का 1083/2200 हिस्सा, रामदेव पुत्र रतना का 1/4 हिस्सा राहिन एच.डी.एफ.सी कुचामनसिटी सा. देह खातेदार दर्ज है। बहस इत्यादि अनुसार एवं उभय पक्षकार के विद्वान अधिवक्ताओ द्वारा कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि को लेकर पक्षकारान के मध्य विवाद उत्पन्न है तथा कोई भी पक्षकार एवं खातेदार बिना विधिवत भू-विभाजन कराये विशेष भू-भाग का बेचान हस्तानान्तरण इत्यादि नही करे एवं मौके पर किसी प्रकार का निर्माण इत्यादि नही करे इसके लिए ताफैसला वाद पक्षकारान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पांबद फरमाया जावे। उपरोक्त भूमि को लेकर दोनो पक्षो द्वारा पृथक-पृथक वाद बाबत बंटवारा के इस न्यायालय में प्रस्तुत किये गये है जिनके बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा चाहा गया है जो आजदिन जैरकार है जिनकी पृथक से सुनवाई की जा रही है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि से साबित है कि पक्षकारान की भूमि संयुक्त खातेदारी में दर्ज चली आ रही है तथा मौके पर शांति व्यवस्था बनी रहे एवं पक्षकारान के मध्य आपसी मुकदमेंबाजी नही हो इसके लिए सभी पक्षकारान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद पांबद किया

जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः दोनो प्रार्थना-पत्र में अंकित इस्तदुआ भी लगभग समान है, इसलिए प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर योग्य है। दोनो प्रार्थना-पत्रों में अंकित तथ्यो एवं उपलब्ध रेकार्ड अनुसार एवं बहस अनुसार प्रार्थना-पत्र में अंकित खसरा न वादग्रस्त भूमि में पक्षकारान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा निम्न प्रकार पाबंद किया जाता है।

आदेश

सभी पक्षकारान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद पाबंद किया जाता है कि ग्राम हरितपुरा के खसरा नम्बर 64 66 67 कुल रकबा 2.20 हैक्टर में पक्षकारान अमरचन्द पुत्र भागीरथ, ओमप्रकाश पुत्र भागीरथ, कुन्दनमल पुत्र अमराराम, छोटी देवी पत्नि भागीरथ, मूलचन्द पुत्र भागीरथ, मोतीराम पुत्र भागीरथ, रामदेव पुत्र खेमा, रामदेव पुत्र रतना मौके की यथास्थिति बनाये रखे, बिना विधिवत विभाजन कराये अपने-अपने हिस्से का किसी भी प्रकार का बेचान, हस्तानान्तरण किसी भी रूप में किसी अजनबी व्यक्तियो को नही करे तथा कोई भी पक्षकार किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण नही करे व उप पंजियक कुचामनसिटी उपरोक्त पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रकार के दस्तावेज का पंजियन स्वीकार नही करे, तहसीलदार कुचामनसिटी मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

आदेश आज दिनांक 30.05.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बाबूलाल जाट RAS,
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)